

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (के-380/86)/अलेसे-11/ 200 दिनांक :- 21/5/2016

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.3 (ख) (के-380/86)/अलेसे-11/ 6615-25, दिनांक 08.09.2014 के द्वारा श्री कमलेश कुमार शर्मा, स.ले.अ.-II (लिंग नं. 8532) को रिश्त लेने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा दिनांक 27.08.2014 को ट्रेप करने एवं न्यायिक अभिरक्षा में लेने के कारण दिनांक 27.08.2014 से निलंबित कर मुख्यालय कोषालय, अलवर किया गया था। इनका मुख्यालय कोषालय अलवर के स्थान पर कोषालय, जयपुर (ग्रामीण) किया जाता है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (के-380/86)/अलेसे-11/ 200-212 दिनांक :- 21/5/2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.पी. जयपुर।
2. उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
3. कोषाधिकारी, जयपुर (ग्रामीण)/अलवर।
4. श्री कमलेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (निल0), मुख्यालय कोषालय, अलवर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)